Notice Board
05/11/2020

'फीस माफ करने के शासनादेश पर विचार करें शिक्षा सचिव'

नैनीताल। हाइकोर्ट ने कोरोना काल में फीस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शिक्षा सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह 11 दिसंबर को 11 बजे याचिकार्ताओं सहित अन्य स्कूलों और अभिभावकों के साथ बैठक करें। बैठक में कोरोना काल में 22 जून को फीस माफ करने के लिए जो शासनादेश जारी किया गया था, उस पर विचार करें ताकि पब्लिक स्कूल बच्चों से फीस ले सकें।

सुनवाई के दौरान याचिकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है। स्कूल खुलने लगे हैं, इसलिए उनको फीस लेने दिया जाए। उनके इस तर्क के आधार पर कोर्ट ने सचिव को 22 जून के शासनादेश पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

ऊधम सिंह नगर की एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूलों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 22 जून 2020 को एक शासनादेश जारी कर कहा था कि लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं काटेंगे और उनसे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नही लेंगे। संवाद